प्रेस नोट दिनांक- 02.10.2019

(1). आज दिनांक-02.10.2019 को गांधी जयन्ती के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किये गये । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जीवन पर प्रकाश डालकर बापू जी के बताये गये सत्य अहिंसा के मार्ग में चलने हेतु प्रेरित किया गया तथा सभी को अपने आस-पास स्वच्छता रखने हेतु कहा गया । इसी क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री बलवन्त चौधरी द्वारा पुलिस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किये गये तथा पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधि/कर्मचारीगणो को अपना आवास/कार्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु कहा गया एवं स्वयं पहल कर पुलिस कार्यालय में समस्त पुलिस कार्यालय स्टाफ के साथ साफ-सफाई अभियान चलाकर पुलिस कार्यालय में साफ-सफाई की गयी ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगणों को साफ-सफाई हेतु पुरस्कृत किया गया तथा अच्छा कार्य करने वाले फालोवर को सम्मानित कर पुरुष्कृत किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री रजनीश कुमार यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री रमाशंकर प्रसाद, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री शिवबदन सिंह, प्रधान लिपिक श्री आलोक कुमार सिंह, श्री रामदुलारे प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, निरीक्षक श्री मानसिंह डीसीआरबी प्रभारी व अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें ।

(2). आज दिनांक-02.10.2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर जनपद के समस्त थाना/चौकियों में थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने थाना/चौकी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किये गये तथा महात्मा गांधी द्वारा बताये गये आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित किया गया ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरूण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री केशरी प्रसाद यादव तथा उनकी टीम द्वारा समयलाल की दुकान के पास से वहद ग्राम कटैया खादर से अभियुक्त रामबली पुत्र भुलई निवासी कटइया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 180/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

<u>बरामदगीः-</u>

05 लीटर कच्ची शराब

<u>बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री केशरी प्रसाद यादव थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री बैजनाथ